

Raj Nath Yadav {राज नाथ यादव}

From: Ajay Holani {अजय होलानी}
Sent: 05-Apr-2017 12:49 PM
To: Raj Nath Yadav {राज नाथ यादव}
Subject: FW: Appeal RTI

27/4

Please take a print

DGM(CD) - KNO
CIN(CI)

From: Ashwani Jain {अश्वनी जैन}
Sent: Wednesday, April 05, 2017 9:26 AM
To: Ajay Holani {अजय होलानी}
Subject: FW: Appeal RTI

Please see. Is this appeal or query?
Necessary action please.

From: gaurav sharma [mailto:gauravsharma8998@gmail.com]
Sent: 04-Apr-2017 15:53
To: Ashwani Jain {अश्वनी जैन}
Subject: Fwd: Appeal RTI

----- Forwarded message -----

From: Gaurav sharma <gauravsharma8998@gmail.com>
Subject: -First Appeal under Right to Information Act 2005

Dear Sir

आपका पत्र क्रमांक CP/RTI/2016/720 प्राप्त हुआ। जिसमें आपके द्वारा RTI पर मांगी गई जानकारी प्रदान की गई। इसके अंतर्गत:-

- (1) मध्यप्रदेश राज्य में राइट ऑफ़ वे (मार्ग का अधिकार) के संबंध में क्या नियम/प्रावधान है। यह स्पष्ट किया जाये।
- (2) भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पारेषण लाइन के राइट ऑफ़ वे (मार्ग का अधिकार) के अंतर्गत टॉवर के लिए उपयोग की जा रही कृषि भूमि एवं तार के नीचे आने वाली भूमि हेतु जो दिशा निर्देश 18/10/2015 को जारी किये गए हैं, उन्हें विस्तार से स्पष्ट किया जाये। एवं उनकी मूल प्रति प्रदान की जाये। साथ ही यह मुआवजा सिंचित कृषि भूमि पर बाजार मूल्य के आधार पर दिया जा सकता है अथवा नहीं। यह स्पष्ट किया जाये।
- (3) 765 KV पारेषण लाइन के राइट ऑफ़ वे (मार्ग का अधिकार) के अंतर्गत सिंचित कृषि भूमि पर मुआवजे की दी जाने वाली राशि मध्यप्रदेश में किस आधार पर तय की जाती है ?
- (4) मध्यप्रदेश में जिला- नरसिंहपुर में गाडरवारा NTPC से जबलपुर तक जाने वाली 765 KV पारेषण लाइन (जिसका कार्य अभी चल रहा है) में अभी तक कितने किसानों/व्यक्तियों को उपरोक्त नियमानुसार कितनी मुआवजा राशि प्रदान की गयी। संबंधित व्यक्तियों के नाम सहित बताया जाये।

दावा/न्याय / Disclaimer: